- लाभ चित्रणः मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपकाअनुकू लितलाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संलग्न है.
- 4. विश्रेष परिस्थियों में जब्ती: यदि इसमें समाविष्ट या पृष्ठ कि तक सी शर्त का उल्लंघन कि या जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोईअसत्य या गलत कथनसम्मिलित है अथवा कोईतात्विक जानकारीि पाईगई है तो ऐसे प्रत्येक मामले में कि न्तु बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की लागू हो सकने वाली व्यवस्थाओं के अधीन यह पॉलिसी अवैध होगी और इसमें सम्बन्धित कि सी भी हितलाभ के लिए समस्त दावे तुरंत अम्पर्यण मूल्य के भुगतान द्वारा बंद/समाप्त हो जाएँगे.
- 5. वैधानिक परिवर्तन: इस पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ नियम और शर्ती संबंधित कानूनों
- 6. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं: पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता की ओर से NEFT आदेश पत्र, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, स्कुल / कॅालेज / नियोक्ता का प्रमाणपत्र, हमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृतनहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तत करनाहोगा.

जब परिपक्वता लाभ या उत्तरजीविता लाभ का भुगतान या पहले अभ्यर्पण नहीं हुआ जहाँ पाँलिसी पूर्णाविध दावे में परिवर्तित होती है या पाँलिसी के अभ्यर्पण की दशा में, बीमित व्यक्ति द्वारा आयु प्रमाण-पत्र, अगर आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, के साथ विमुक्ति पत्र और मूल पाँलिसी प्रलेख, बैंक खाते में दावे की राशि सीधे जमा करने के लिए दावाक र्ता की ओर से NEFT आदेश पत्र प्रस्तत कि याजाएगा.

- 7. आत्महत्याः यदि बीमित व्यक्ति (मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर कि सी भी समय आत्महत्या करलेता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत कि सी भी दावे पर विचार नहीं कि या जाएगा, प्रदत्त एकल प्रीमियमों के 90% को छ हे करजिसमें को ईकर, अतिरिक्त प्रीमियम शामिल नहीं है.
- 8. करः करसेवाकरसहित, यदि कोईहो, करकानून के अनुसार होगा और करकी दर प्रचलित दर पर लागू होगी.
- प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि पॉलिसी धारक द्वारा एकल प्रीमियमों पर देय होगी, जिनमें अतिरिक्त प्रीमियमें शामिल हैं, यदि कोई हो. प्रदत्त कर की राशि प्रीमियम के हिस्से के रुप में योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं कि याजाएगा.

भाग जी

वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर उसे लेने की तिथि से दो वर्ष बाद किसी बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर आपित्त नहीं उठाई जाएगी कि बीमे के लिए प्रस्ताव में या चिकित्सा अधिकारी या मध्यस्थ या बीमित व्यक्ति के मित्र की किसी रिपोर्ट में या किसी अन्य प्रलेख में दिया गया कोई वक्तव्य, जिसके आधार पर वह पॉलिसी जारी की गई हो, ग़लत या मिथ्या था जब तक बीमाकर्ता यह सिध्द न कर दें कि वह वक्तव्य किसी तात्विक मामले पर था या ऐसे तथ्यों को छिपाया या था जिन्हें प्रकट करना तात्विक था और पॉलिसीधारक ने ऐसा छलपूर्वक किया था और वह वक्तव्य देते समय पॉलिसीधारक अवगत था कि वह झुठा है या उसमें ऐसे तथ्यों को छिपाया गया है जिन्हें प्रकट करना तात्विक था.

परंतु इस धारा के प्रावधान बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगने से वंचित नहीं करते, यदि उसे ऐसा करने का हक़ हो और केवल इस आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि किसी पॉलिसी पर आपत्ति उठाई गई है कि प्रस्ताव में बताई गई बीमित व्यक्ति की आयु ग़लत होने का प्रमाण मिलने पर बाद में पॉलिसी की शतों में परिवर्तन किया गया है

शिक ।यत निवारण प्रणाली

निगम के पास ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए शाखा / मंण्डल / क्षेत्रीय / कें द्रीय कार्यालयमें शिकायतिनवारण अधिकारी हैं. ग्राहकों की शिकायतों के तेज निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोट 'enhtp://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक हितैषी एकी कृतशिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसमें पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी फरियाद / शिकायत सीधे पंजीकृत करवासकता / सकती है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता / सकती है. कि सीभी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई-मेल आईडीco_crmgrv@licindia.com पर भी संपर्क करसकते हैं.

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असंतुष्ट दावेदार के पास अपने दावे को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयदावा मतभेद निवारण समिति या के द्रीयकार्यालयदावा मतभेद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प है. इन दोनों दावा मतभेद निवारण समितियों के सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश हैं. दावों संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार ग्राहकों को कम कीमतपर और तेज फै सले प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोक पालकों भी मिल सकते हैं.

- 3. Benefit Illustration: Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.
- 4. Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease immediately by paving the surrender value.
- Legislative Changes: The Terms and Conditions including the benefits
 payable under this policy are subject to variation in accordance with the
 relevant Legislation & Regulations.
- 6. Normal requirements for a claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, school/ college/employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

When maturity benefit or survival benefits falls due or on earlier surrender, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

- 7. Suicide: The policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk and the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 90% of the single premium paid excluding taxes and any extra premium paid.
- 8. Tax: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on the single premium including extra premium, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

Part G

STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act. 1938:

No policy of life insurance shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policyholder and that the policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose.

Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal.


Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsmen who are appointed by Government of India for providing low cost and speedy arbitration to customers.



टिप्पणीः यदि आपको कोई शिकायत / परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी /लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है. NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:



टिप्पणीः इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों / शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेज़ी भाष्य विधिमान्य होगा.
NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई ग़लती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.



एल आई सी का जीवन शगुन (लाभ सहित योजना) LIC's JEEVAN SHAGUN (WITH PROFITS)



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भाग ए

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसके बाद निगम कहा जाएगा) यहाँ नीचे संदर्भित अनुसूची में प्रस्तावक और उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और एकल प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा में शामिल एवं संदर्भित विवरणों को इस बीमे का आधार मानते हुए इस पॉलिसी द्वारा संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निगम के उस शाखा कार्यालय में जहां यह पॉलिसी सेवित है बिना ब्याज के हितलाभ का भुगतान करने में सहमत है जबिक निगम की संतुष्टी के अनुसार इस पॉलिसी में उल्लिखित हितलाभ उन व्यक्ति या व्यक्तियों को जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, देय हो जाते हैं तथा प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सत्य हो यदि उसका सत्यापन पहले न किया गया हो.

और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठभाग पर अंकित परिभाषाएँ, लाभ, सेवा कार्य पहलुओं से संबंधित शर्तें, अन्य नियम एवं शर्तें और वैधानिक प्रावधान के आधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जाएँगे.

Part A

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with the Declaration and single premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced, to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this policy, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Cornoration shall be deemed part of the Policy

Policy by the Corporation shall be deemed p मंडल कार्यालयः DIVISIONAL OFFICE:	art of the Policy. अनुसूची SCHEDULE			शाखा कार्यालय: BRANCH OFFICE:	
पॉलिसी सं.: Policy No.:	मूल बीमित राशि (₹) Basic Sum Assured (₹):		णीबद्ध एकल प्रीमियम (₹) ular Single premium (₹):	बीमाधारक की जन्मतिथिः Date of Birth of Life Assured:	
पॉलिसी आरंभ होने की तिथिः Date of Commencement of Policy: जोखिम आरंभ होने की तिथिः Date of Commencement of Risk: योजना एवं पॉलिसी अवधिः Plan & Policy Term: परिपक्वता की तिथिः Date of Maturity:	परिपक्वता बीमित राशि (₹) Maturity Sum Assured (₹):	भुगतान किया हुआ एकल प्रीमियम (₹) Single Premium paid (₹):		बीमित व्यक्ति की आयुः Age of the Life Assured: क्या आयु स्वीकृत है ? Whether Age Admitted?	
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामिती का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insuranc	e Act, 1938:	•	प्रस्ताव सं.: Proposal No.:		
नामिती अवयस्क हो तो नियुक्त व्यक्ति का नामः If Nominee is a minor, the name of the Appointee:			प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal:		
			लाभ चित्रण संदर्भ क्रं.: Benefit Illustration Referenc	e No.:	
प्रस्तावक का नाम और पताः / Name and address of Propo	oser:	बीमित व्यवि	त्त का नाम और पता / Name and a	address of Life Assured	
लाभार्थी जिसे लाभ देय	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम, उसके नामिती या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रश् राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र	गसकों या अन्य	विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जि	या बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत तन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय 3 पाप्त होगा के रूप में लगा होगा	
Beneficiary to whom Benefits payable	The proposer or the Life Assured or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.				

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया जा रहा है और जिसे इस पॉलिसी से संबंधित समस्त पत्राचार संबोधित किया जाए.

Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक : / Date : द्वारा जांच: / Examined by : प्लान क्र.: / Plan No.:

कृते प्रमुख /वरिष्ठ /शाखा प्रबन्धक / p.Chief/Sr./Branch Manager

एजेंसी कोड	एजेंट का नाम	एजेंट का मोबाईल नंबर /लैंडलाइन नंबर
Agency Code	Agency Name	Agent's Mobile Number/Landline Number

इस पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दावली/शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है:

- 1. आयु पॉलिसी शुरू होने के समय बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन की आयु 8 साल की आयु के लिए जिसके लिए आयु पूरी वर्षों में है.
- 2. नियुक्त व्यक्ति वह जिसे पॉलिसी के तहत सुरक्षित आय/लाभ देय है अगर लाभ नामिती को देय हो जाता है और दावा भुगतान की तारीख पर नामिती अवयस्क है
- 3. समनुदेशिती व्यक्ति वह जिसे एक समनुदेशन के आधार पर अधिकार और लाभ स्थानांतरित
- 4. समनुदेशन यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत "समनुदेशिती" को अधिकार और लाभों को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है.
- 5. मूल बीमित राशि यह एक आश्वासित राशि है जो इस पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर देय
- 6. **लाभार्थी** मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार है. लाभार्थी बीमित व्यक्ति या उसका समनुदेशिती या नामिती या प्रामाणिक प्रबंधक या प्रशासक या अन्य
- 7. निगम मतलब एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन
- 8. **पॉलिसी शुरू होने की तारीख** इस पॉलिसी की शुरुआत की तारीख है.
- 9. जोखिम आरंभ होने की तारीख यह वो तारीख है जिस पर निगम पहली प्रीमियम प्राप्ति की तारीख से सबूत के रूप में बीमा (कवर) के लिए जोखिम स्वीकार करता है.
- 10. **परिपक्वता तिथि** मतलब एक निश्चित तारीख जिस पर पूर्ण या आकस्मिक लाभ देय हो सकता
- **11. मृत्यु लाभ** मतलब अनुबंध की स्थापना पर सहमत हुआ लाभ, जो मृत्यु पर देय है इस पॉलिसी में
- 12. निर्वहन फार्म ऐसा फार्म है जो पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक / दावेदार द्वारा विद्यमनता / परिपक्वता / मृत्यु लाभ का दावा करने के लिए भरा जाता है.
- 13. पृष्ठांकन मतलब इस पॉलिसी से संलग्न / जुड़ी परिस्थितियाँ जिसमें निगम को सहमत या नेगम द्वारा जारी कोई भी संशोधन या आशोधन शामिल है.
- 14. अतिरिक्त प्रीमियम मतलब न्यूनतम अनुबंध प्रीमियम में प्रदान नहीं किए गए किसी भी जोखिम
- 15. **फ्री लुक अवधि** मतलब इस पॉलिसी के निबंधन या शर्तों की समीक्षा करने की पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि और जहाँ पॉलिसीधारक उन निबंधन या शर्तों में से किसी को सहमत नहीं है, उसके पास पॉलिसी को वापस करने का विकल्प है.
- **16. गारंटीड सरेंडर मूल्य** मतलब पॉलिसी के सरेंडर पर पॉलिसीधारक को देय सरेंडर मूल्य की न्यनतम गारंटीड राशि
- आईआरडीए मतलब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- 18. **बीमित** मतलब वह व्यक्ति जिसके जीवन पर बीमा कवर लिया गया है.
- 19. ऋण मतलब पॉलिसीधारक के अनुरोध पर सरेंडर मूल्य के भीतर निगम द्वारा अग्रिम में दी गई
- **20. परिपक्चता लाभ** मतलब लाभ, जो मैट्युरिटी पर देय है अर्थात, इस पॉलिसी दस्तावेज मे निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि के अंत में, मैट्युरिटी की तारीख तक बीमित के जीवित रहने पर.
- 21. महत्त्वपर्ण जानकारी मतलब जानकारी जो पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित को पहले से ही मालूम है जो प्रस्तुत प्रस्ताव की हमीदारी पर नजर रखी हुई है.
- 22. अवयस्क मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने आयु के 18 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं.
- 23. नामांकन मतलब व्यक्ति को नामांकित करने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम प्रस्ताव प्रपत्र में "नामिती" के रूप में दिया जाता है या बाद में बीमा आधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 39 के अनुसार पृष्ठांकन शामिल किया/बदला जा सकता है.
- 24. नामिती ऐसी व्यक्ति है जिसके पास पॉलिसी की परिपक्वता से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में पॉलिसी धन को वैध मुक्ति देने का अधिकार होता है.
- 25. **पॉलिसी वर्षगाँठ** मतलब इस पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष और इसके बाद प्रत्येक वर्ष पडने वली तिथि, परिपक्वता की तारीख तक.
- 26. **पॉलिसी / पॉलिसी दस्तावेज** मतलब निगम द्वारा जारी किया गया यह दस्तावेज पृष्ठांकन के साथ, यदि कोई हो, जो पॉलिसीधारक और निगम के बीच एक कानूनी अनुबंध है.
- 27. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानुनी मालिक है.
- 28. पॉलिसी अवधि मतलब वर्ष के रूप में अवधि, जिसके दौरान पॉलिसी के निबंधन और शर्तों के
- 29. प्रीमियम यह इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभों को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसीधारक द्वारा देय
- 30. प्रस्तावक यह व्यक्ति जीवन बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
- 31. अनुसूची यह पॉलिसी दस्तावेज का एक हिस्सा है जो आपके पॉलिसी का विवरण देता है.
- 32. समर्पण मतलब परिपक्वता से पहले संपूर्ण पॉलिसी की पूरी वापसी / समाप्ति.
- 33. समर्पण राशि मतलब राशि, यदि कोई हो, जो इस पॉलिसी के नियम और शर्त के अनुसार समर्पण के मामले मे देय हो जाती है.
- 34. उत्तरजीविता लाभ ऐसा लाभ है जो इस पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधियों के अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय है.
- **35. सारिणीबृद्ध प्रीमियम** किसी भी छूट या अतिरिक्त लोडिंग के आवेदन के बिना बीमित व्यक्ति की आयु पर आधारित चुनी हुई बीमित राशि के लिए प्रीमियम है.
- **36. बीमाकंन** शब्द का प्रयोग जोखिम का आकलन करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए और कवर की लागत संबंधित व्यक्ति द्वारा सामना किए जोखिम के अनुपात में है यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. बीमाकंन के आधार पर, कवर की स्वीकृति या अस्वीकृति साथ ही उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तें, यदि कोई हो की प्रयोज्यता, पर निर्णय लिया जाता है.
- **37. यूआईएन** मतलब आईआरडीए द्वारा इस योजना को दिया गया विशिष्ट पहचान क्रमांक है.
- **38. मुनाफे के साथ पॉलिसियाँ** मतलब पॉलिसियाँ जो पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान उभरते अधिशेष (मुनाफे) में किसी भी शेयर के लिए हकदार हैं.

Part B - Definition

The definitions of terms/words used in this policy document are as under:

- 1. Age is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the encement of the policy except for age 8 years for which the age is in
- 2. Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and ominee is minor as on the date of claim payment.
- 3. Assignee is the person to whom the rights and benefits are transferred by
- 4. Assignment is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee" under section 38 of Insurance Act, 1938.
- 5. Basic Sum Assured is the assured amount payable on death during the
- 6. Beneficiary means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the
- 7. Corporation means the Life Insurance Corporation of India established der Sec.3 of the LIC act, 1956.
- 8. Date of commencement of policy is the start date of this Policy
- 9. Date of commencement of risk is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced by the date of the First
- 10. Date of Maturity means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently
- 11. Death Benefit means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death as specified in this Policy Document.
- 12. Discharge form is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the survival / maturity /death benefit under the policy.
- 13. Endorsement means conditions attached / affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the
- 14. Extra Premium means a charge for any risk not provided for in the mi contract premium.
- 15. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document to review the terms or conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
- **16. Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
- 17. IRDA means Insurance Regulatory and Development Authority
- 18. Life Assured is the person on whose life the insurance cover has be
- 19. Loan is the interest bearing amount granted by the Corporation against the surrender value in advance on request of the policyholder.
- 20. Maturity Benefit means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in this Policy Document, on life assured
- 21. Material information is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the
- 22. Minor is a person who has not completed 18 years of age.
- 23. Nomination is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement, as per section 39 of the Insurance Act, 1938.
- 24. Nominee is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured before maturity of the policy.
- 25. Policy Anniversary means one year from the date of commencement of this Policy and each date falling one year thereafter, till the date of maturity.
- 26. Policy/Policy Document means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
- 27. Policyholder is the legal owner of this policy.
- 28. Policy term is the period, in years, during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions of the policy.
- 29. Premium is the contractual amount payable by the Policyholder to secure the benefits under this policy.
- 30. Proposer is a person who proposes the life insurance propo
- 31. Schedule is the part of policy document that gives the details of your policy.
- 32. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire policy
- 33. Surrender Value means an amount, if any, that becomes payable in case of
- 34. Survival Benefit is the benefit payable on survival of the Life Assured at the end of specified durations during the term of this policy. **35. Tabular premium** is the premium for the chosen Maturity Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or
- extra loading. **36. Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or
- rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified 37. UIN means the Unique Identification Number allotted to this plan by the
- 38. With Profits policies means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

भाग सी - हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं :

- 1. मृत्यु हितलाभः परिपक्वता की निर्दिष्ट दिनांक से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर
- पहले पाँच पॉलिसी वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर: मूल बीमित राशि यानि कि तालिक बिद्धसिंगल प्रीमियम क 110 गुना देय होगा.
- मूल बामित राशि बान पर जायन जन्म के परचात मृत्यु होने पर: पाँच पॉलिसी वर्षों की समाप्ति के पश्चात मृत्यु होने पर: मल बीमित राशि यानि कि तालिकाबद्ध सिंगल प्रीमियम के 10 गुना के साथ साथ, यदि कोईहोंगे तो लॉयल्टीएडीशन्सभी देय होंगे
- 2. उत्तरजीविता हितलाभः बीमित व्यक्ति की निर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति तक उत्तरजीविता पर निम्नलिखित उत्तरजीविता हितलाभ देय होंगे
- 10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में : परिपक्वता बीमित राशि क 115% 11वें पॉलिसी वर्ष के अंत में : परिपक्वता बीमित राशि का 20%
- 3. **परिपक्वता हितलाभः** परिपक्वता की निर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति तक बीमित व्यक्ति की र परिपक्वता बीमित राशि के 65% के साथ साथ, यदि कोई होंगे तो लॉयल्टी एड शिन्सभी देय होंगे.
- 4. निगम के मुनाफों में सहभागिता: निगम के अनुभव के आधार पर, यह पॉलिसी लॉयल्टी एड शिन्सके तौर पर अतिरिक्त राशि (पुनाफे) में हिस्सेदारी करने की पात्र होगी. लॉयल्टी एड शिन्स, यदि कोई हों, तो निगम द्वारा घोषित नियमों और दर पर, मृत्यु या सरेंड रपर देय होंगे, बशर्ते पॉलिसी कमसे कमपाँच पॉलिसी वर्षों तक चली हो या पॉलिसीधारक परिपक्वता

भाग डी

पॉलिसी में दी गई शर्तें एवं सुविधाएं

 आयु प्रमाण: प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई परिपक्वता बीमित राशि और बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के लिए परिपक्वता बीमित राशि के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्वारा उस प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा. तथापि प्रावधान है कि बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक उपयुक्त संचित राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से निगम द्वारा समय समय पर प्रचलित दरों के ब्याज के साथ पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक, सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से कार लिया जाएगा

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिक ामें निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान कि एजाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या सहतों को परिवर्तित कर दिया जाएगा. बशर्तेकि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो. अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और ऐसे निरस्तीक रण की तिथि पर जो भी अभ्यर्पण मूल्य होगा, उसक । भुगतान कि या जाएगा.

- 2. **पॉलिसी ऋण:** प्रदान की गई पॉलिसी कम से कम एक साल तक चली हो तो पॉलिसी के समर्पण मूल्य के भीतर पॉलिसी लोन दिया जा सकता है, जो संतोषजनक स्वामित्व के प्रस्तुतिकरण एवं निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन है जो निगम समय-समय पर तय कर सकता है.
 - (i) लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णतः निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी
 - (ii) निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छ माही चक्र विद्ध आधार पर किया जाएगा, ब्याज का प्रथम भगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ या छ :माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋणदेने के तत्काल बाद आए. पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छ माहीआधार पर किया जाएगा. ब्याज क मसे क मछ :माह के लिए लिया जाएगा;
 - (iii) यदि पॉलिसी परिपक्व हो जाए या जब किसी उत्तरजीविता लाभ का भुगतान नहीं हुआ या अभ्यर्पित या मृत्यु द्वारा दावा बन जाए तो निगम को हक़ होगा कि ऋण या उसके किसी बकाया अंश की राशि. परे ब्याज के साथ पॉलिसी की राशि में से काट ले.
 - (iv) अलग अलग पॉलिसी वर्षों के लिए समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जानेवाला

पॉलिसी वर्ष	2 से 3	4 से 6	7 से 9	10 से 12
समर्पण मूल्य के % के रूप में ऋण राशि	50%	60%	70%	90%

- 3. समर्पण: पॉलिसी अवधि के दौरान पालिसी कभी भी नकदी के लिए समर्पित की जा सकती है. स्वीकार्य गारंटीड समर्पण मूल्य नीचे दिया गया है:
 - प्रथम वर्षः भुगतान किया गया एकल प्रीमियम का 70%, कर और सभी अतिरिक्त प्रीमियमों को छोडकर, यदि कोई हो.
 - प्रथम वर्ष के बाद: भुगतान किया गया एकल प्रीमियम का 90%, कर, भुगतान किये गये किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और उत्तजीविता लाभ को छोड़कर, अगर पहले भुगतान किया है.

यद्यपि इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो. विशेष अभ्यर्पण मूल्य (परिपक्वता बीमित राशि कम उत्तरजीविता लाभ, अगर पहले भुगतान किया है) का रियायती मूल्य होगा. इस पॉलिसी के लिए लागू ये रियायत घटक आईआरडीए के पूर्व अनुमोदन के साथ समय-समय पर बदल सकते हैं.

पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे करने के बाद अगर पॉलिसी सरेंडर की जाती है, लॉएल्टी एडिशन, यदि कोई हो, देय होगा जो सरेंडर मूल्य पर आधारित होगा.

भाग ई लागू नहीं

भाग एफ

अन्य नियम एवं शर्तें

- 1. फ्री लुक अवधि: यदि पॉलिसीधारक फ्री लुक अवधि के दौरान, पॉलिसी की नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी आपत्ति का उल्लेख करते हए पॉलिसी को वापस कर सकता/सकतीहै. निगम पॉलिसीधारक को कवर की गई अवधि के लिए उचित जोखिम प्रीमियम और स्टै म्पड सूट बार्जेस और मेडि कलटे स्टपर हुए खर्च एवं विशेष रिपोट र्वेंबगेरह पर हुआ खर्च काट कश्रापके भरे हुए सिंगल प्रीमियम कारिफंडकरेगाऔर पॉलिसी रद्द कर
- 2. समनुदेशन और नामांकनः बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छे द38 के अनुसार इस योजना

बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छे द39 के अनुसार जीवन बीमा के पॉलिसी धारक द्वारा नामांक न आवश्यक है. सामान्य रूप से यह आग्रह किया जाता है कि नामिति बीमित व्यक्ति का बहुत ही करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पॉलिसी में प्रस्ताव चरण में आवश्यक रूप से नामांक न किया जाए. यहाँपि कि सी परवर्ती समनुदेशन या नामांक न परिवर्तन पर, समनुदेशन या नामांक न परिवर्तन की सूचना निगम के कार्यात्यमें पंजीक रण के लिए जमा की जानी चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी की सेवा दी जाती है. समनुदेशन या नामांक न के पंजीक रण में निगम इसकी वैधता और विधिक प्रभाव से संबंधित न तो कोई उत्तरदायित्व लेता है, और न ही कोई अभिमत प्रकटक रता है

Part C - Benefit

The following benefits are payable under this policy:

- 1. Death Benefit: On death of the Life Assured before the stipulated Date of
- On death during first five policy years:
 Basic Sum Assured i.e. 10 times the Tabular Single Premium shall be payable. On death after completion of five policy years:

 Basic Sum Assured i.e. 10 times the Tabular Single Premium along with
- Loyalty Addition, if any, shall be payable. 2. Survival Benefits: On Life Assured surviving to the end of the specified
- durations, the following Survival benefits shall be payable: At the end of 10th policy year: 15% of the Maturity Sum Assured At the end of 11th policy year: 20% of the Maturity Sum Assured
- 3. Maturity Benefit: On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity, 65% of the Maturity Sum Assured along with Loyalty Addition, if any, shall be
- 4. Participation in the Profits of the Corporation: This policy shall be eligible for share in surplus (profits) in the form of Loyalty Addition, depending upon the experience of the Corporation. The Loyalty Addition, if any, shall be payable on death or surrender, provided this policy has run for at least five policy years, or on policyholder surviving to the maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. Proof of Age: The premium having been calculated based on the Maturity Sum Assured and the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such cases at the rate calculated on the Maturity Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the policy up to the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured /Proposer does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the policy becoming a claim.

Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plans of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this Policy subject to the consent of the policyholder, otherwise the policy will be cancelled and the surrender value will be paid as on the date of such cancellation

- 2. Policy Loan: Provided the policy has run for at least one year, then policy loan may be granted within the surrender value of the policy, subject to the production of satisfactory title and following terms and conditions and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to
 - (i) the Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as
 - security for the repayment of loan and of the interest thereon;

 (ii) Interest on the loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation when the relative loan is sanctioned. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next policy anniversary whichever immediately follows the date on which the relative loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is
 - charged for a minimum period of six months (iii) In case the policy shall mature or whenever any survival benefit falls due or surrender or becomes a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan or any portion thereof which is outstanding, together with all outstanding interest, from the policy
- moneys. (iv)The maximum loan that shall be granted as a percentage of surrender

value for different policy years is as under.							
Policy Year	2 nd to 3 rd	4 th to 6 th	7 th to 9 th	10 th to 12 th			
Loan Amount as a % of	50%	60%	70%	90%			
Surrondor Value							

- 3. Surrender: The policy can be surrendered at any time during the policy term. The Guaranteed Surrender Value allowable shall be as unde
 - First year: 70% of the Single premium paid excluding taxes and extra premiums, if any.
 Thereafter: 90% of the Single premium paid excluding taxes, any extra

premium paid and survival benefits, if paid earlier. However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favourable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of (Maturity Sum Assured less Survival Benefits, if paid earlier). These discounting factors i.e. Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of

If the policy is surrendered after completion of five policy years, Loyalty Addition, if any, shall be payable which will be based on surrender value.

Part E Not Applicable

OTHER TERMS AND CONDITIONS

- Free Look period: During the Free Look period if the Policyholder is not satisfied with the Terms or Conditions, he/ she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of single premium deposited after deducting the proportionate risk premium for the period on cover, stamp duty charges and any charges incurred on medical examination and special reports.
- 2. Assignments and Nominations: Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938.

Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938. It is generally insisted that the nomine shall be very close relative of the Life Assured. The notice of assignment, nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering an assignment or nomination the Corporation does not accept any onsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.